सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट

धनबाद

जिला खनिज फाउंडेशन योजना मार्गदर्शिका

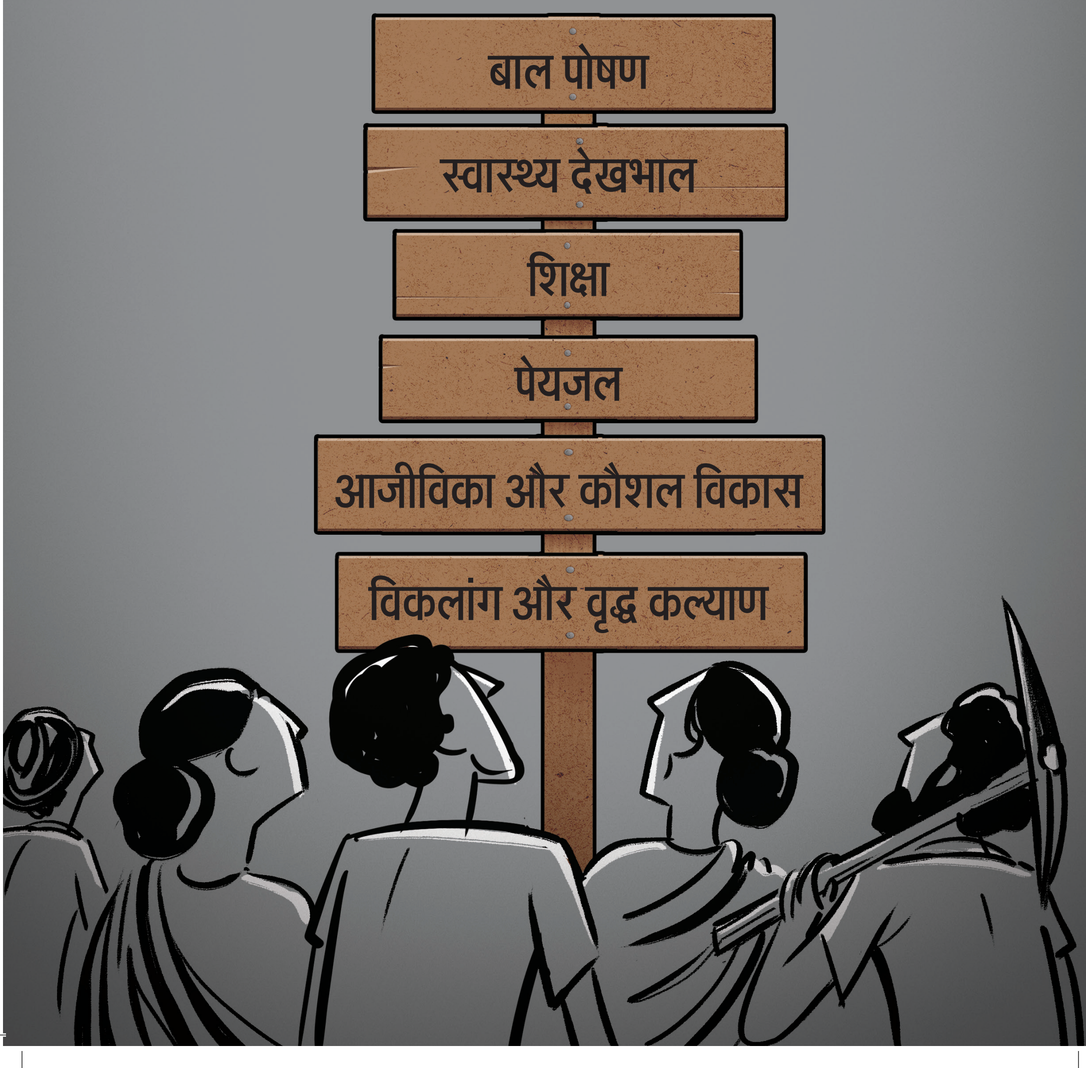

प्रस्तावना

विभिन्न राज्यों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के नियम एवं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) यह बताते हैं कि हर जिले में डीएमएफ को अपने फण्ड के उपयोग के लिए वार्षिक योजना अभ्यास के माध्यम से कार्यों की पहचान और प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए। डीएमएफ योजना के लिए दो स्पष्ट मुद्दों को रेखांकित किया गया है, जिलों को सहभागी ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय नियोजन अभ्यास करना चाहिए, और खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्पष्ट 'उच्च प्राथमिकता' वाले मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रभावित लोगों के कल्याण और लाभ को बढ़ा सके।

इन दोनों विनिर्देशों को खनन संबंधित संचालन से प्रभावित लोगों के "हित और लाभ" के लिए डीएमएफ फंड की इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इसके लिए, जिलों को व्यवस्थित एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए डीएमएफ योजनाओं को विकसित करने की जरूरत है। यह अव्यवस्थित और प्रतिक्रियाशील योजना, खराब निवेश और गलत हस्तक्षेपों की संभावनाओं को कम करने में भी मदद करेगा।

इस प्रभाव के लिए, धनबाद जिले के लिए एक सूचक डीएमएफ योजना प्रस्तावित है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्राथमिकताओं की पहचान करने और आउटपुट–आउटकम दृष्टिकोण के आधार पर डीएमएफ द्वारा योजना लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करना है, जिसे जिला अपने वार्षिक और डीएमएफ बजट के अनुरूप कर सकती है। यह अधिक स्थिरता वाले निवेश को सक्षम करने के प्रयास के रूप में भी है, क्योंकि सूचक योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों, ग्राम पंचायत के सदस्यों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और ब्लॉक और जिला स्तर अधिकारियों–जो इसके हितधारक हैं के साथ परामर्श कर बनायी गई है।

जिला खनिज फाउंडेशन

"खनिज समृद्ध भूमि पर रहने वाले लोगों का उस भूमि से लाभ प्राप्त करने का अधिकार"

डीएमफ क्या है?

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) एक गैर लाभकारी स्वायत्त ट्रस्ट है, जो खनन– सबंधी संचालन से प्रभावित प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से बनाना है।

एम एम डी आर अमेंडमेंट, 2015 के अंतर्गत भारत के हर खनन जिले में स्थापित किया जाना है।	**खनन सम्बन्धी कार्यों का संचालन हो रहे क्षेत्र एवं निवासियों के हित और लाभ को सुनिश्चित करने के लिए है।**	**उद्देश्य और कार्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित**	**उपायुक्त की अध्यक्षता में एक शाषी परिषद (राजनीतिक और सामुदायिक प्रतिनिधि भी शामिल) और एक प्रबंध समिति (सरकारी अधिकारी शामिल)**

- महत्वपूर्ण अंटटाईड नॉन लैपसेबल वित्तीय कोष जो प्रतिवर्ष सीधा जिले के पास आता है।
- फलेक्सी फण्ड– राशी किसी योजना से जुडी नहीं है एवं इस फण्ड से दीर्घकालीन समस्याओं का योजना प्रक्रिया द्वारा निवारण किया जा सकता है।
- नॉन लैपसेबल– राशी नॉन लैपसेबल है एवं बैंक इंटरेस्ट के योग्य है।
- सामुदायिक भागीदारी– विकेन्द्रित समुदाय आधारित योजना प्रक्रिया।

डीएमएफ प्राथमिकता के क्षेत्र

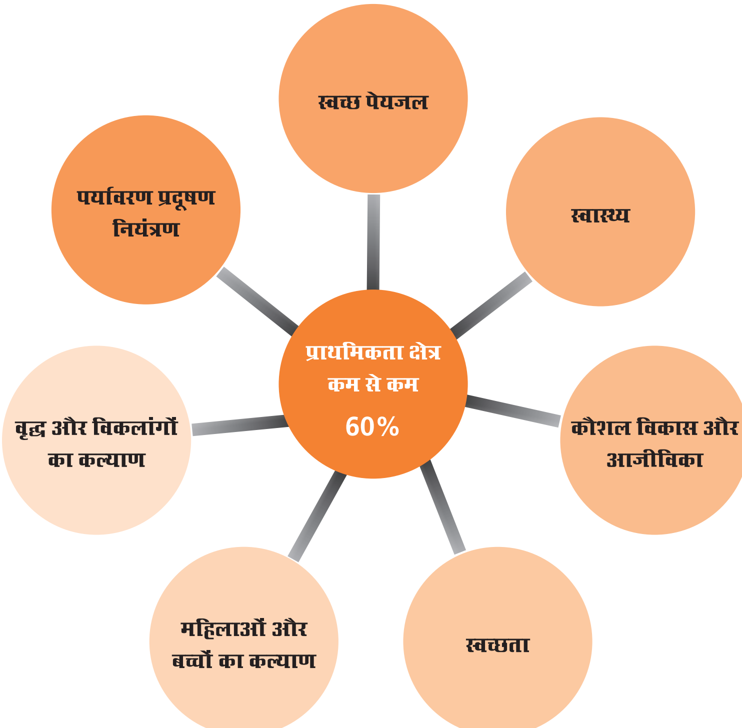

डीएमएफ द्वारा योजना निर्माण

डीएमएफ् ट्रस्ट समुदाय आधारित सहभागी नियोजन प्रक्रिया के तहत (ग्राम सभा का अनुमोदन) वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी।

↓

डीएमएफ के सदस्य संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त सुझावों / योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना तैयार करेंगे।

↓

अंतिम योजना में कार्यान्वित होने वाली विकास योजनाओं / कार्यों की निश्चित समय सीमा, कार्यों के प्रकार एवं संख्या का विवरण रहेगा।

↓

योजनाओं के निष्पादन के लिए ट्रस्ट संबंधित अधिकारियों / लोगों को राशी आवंटित करेगी।

विकेंद्रित समुदाय आधारित योजनाः एक महत्वपूर्ण कदम

जिला खनिज फाउंडेशन ग्राम सभा के माध्यम से योजना निर्माण करेगी। ग्राम सभाओं (विशेषकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए) के माध्यम से ये अधिकार निहित किए गए हैं।

ग्राम सभा की 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं-

- लाभार्थियों की पहचान करनाः प्रभावित गांवों में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है।
- प्रभावित क्षेत्रों में किए जाने वाले योजनाओं और कार्यो का निर्णय लेने में– इसके लिए ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। वास्तव में झारखंड में डीएमफ ट्रस्ट ग्राम सभा के प्रस्तावों को निरस्त/रद्द नहीं कर सकता है, केवल सुझावों/ संशोधनों के साथ वापस भेज सकता है।
- विकास योजनाओं/कार्यों का निरीक्षण – गांवों में हो रहे कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभाओं में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

डीएमएफ की संभावनाएं

धनबाद जिला- कोयले की राजधानी

झारखंड भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। वर्ष 2015–2016 में, राज्य ने 121 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन किया, जो देश में कुल उत्पादन का लगभग 19 प्रतिशत था। जिसमें 31 प्रतिशत अकेले धनबाद से आए थे। जिले के विभिन्न कोयला खनन क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख कंपनियों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (ईसीएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) और इंडियन आयरन और स्टील कंपनी (ईसको) हैं। इनमें बीसीसीएल सबसे बड़ा ऑपरेटर है जो 84 खानों–ओपनकास्ट (ओसी) और भूमिगत (यूजी) खानों दोनों का संचालन करता है।

धनबाद के खनन प्रभावित क्षेत्र नगरपालिका के साथ–साथ ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। प्रमुख खनन प्रभावित क्षेत्रों में धनबाद (झरिया) के नगर पालिका, धनबाद प्रखंड, बाघमारा, निरसा, एगारकुंड, केलियासोल, बलियापुर, तोपचांची और गोबिंदपुर प्रखंड के ग्रामीण पंचायत शामिल हैं।

झरिया – धहकता शहर

झरिया को मुख्य रूप से प्रभावित माना गया है क्योंकि अधिकांश खानें आसपास के इलाकों में हैं। इस क्षेत्र की खानें गैर–वैज्ञानिक खनन और खराब प्रबंधन के अधीन हैं जो क्षेत्र को विशेष रूप से बीमार बनाती हैं। झरिया कोलफील्ड्स, जो अब लगभग एक शताब्दी से जल रहा है, भारत में सबसे ज्यादा अनियंत्रित सतह और उप–सतह कोयले की आग की चपेट में है। बीसीसीएल की जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीयकरण के समय झरिया कोलफील्ड में कुल 70 आग की पहचान की गई थी; बाद में एक अतिरिक्त सात आग की पहचान की गई। 2008 में झरिया पर बीसीसीएल मास्टर प्लान ने नोट किया कि आग ने 41 कोलयरी करीब 890 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज पूरा झरिया भूमिगत आग की चपेट में और इस आग ने समय समय पर कई लोगों की जान ली है। भूमिधसान जिसे स्थानीय लोग "गोफ" कहते हैं से झरिया निवासरत लोग हमेशा भयभीत और डरते हैं कि ये कभी भी उनकी जान ले सकता है।

धनबाद जिले को डीएमएफ अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त प्राप्त हुई?

धनबाद को अब तक (मार्च 2018) डीएमएफ़ से लगभग 670 करोड़ राशी प्राप्त हुई है। अनुमानित है की धनबाद डीएमफ को प्रतिवर्ष 300 करोड़ राशि प्राप्त होगी।

इस राशि से अभी तक की निवेश क्या है?

इस फण्ड से राज्य सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में प्राथमिकतायें तय की गयी है। और अभी तक बड़े पैमाने पर (मार्च 2018) 19 योजनाओं, करीब 850 करोड़ लागत की पेयजल सम्बन्धी योजनाओं जो की बाघमारा, गोविंदपुर, निरसा, केलियासोल, एगारकुंड एवं तोपचांची प्रखंडों के लिए चयन किया गया है।

किन क्षेत्रों में डीएमएफ निवेश करने की आवश्यकता है?

धनबाद जिले को डीएमएफ अंतर्गत सालाना 300 करोड़ राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस फण्ड से जिला के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक, मानव विकास और संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर निवेश करने का बहुत बड़ा अवसर है।

सीएसई नें धनबाद जिले की स्तिथि और समस्याओं का मूल्यांकन किया है। इसके माध्यम से यह समझने की कोशिश है कि डीएमएफ की प्राथमिकतायें क्या होनी चाहिए? यह मूल्यांकन मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट डाटा, खनन प्रभावित लोगों के साथ बैठक एवं चर्चा जिनमे महिला, वृद्ध, युवा एवं वंचित समुदाय, पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों के साथ चर्चा कर तैयार किया गया है।

धनबाद की स्थिति आंकलन

जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें शामिल हैं–

1. **स्वास्थ्य एवं पोषण** – खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ स्वास्थ्य संसाधनों दोनों में कमी है। प्रमुख कमियों में शामिल हैंः
   - प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्त संख्या– उपकेन्द्र, पीएचसी, सीएचसी।
   - सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ (सरकारी) – जिला और उप–जिला अस्पताल, में लगभग न के बराबर।
   - अपर्याप्त मानव संसाधन – डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी।
   - आबादी की तुलना में आंगनवाड़ी की अपर्याप्त संख्या।
   - आंगनवाड़ी में स्थायी संरचना नहीं।
   - आंगनवाड़ी में पेयजल और शौचालय की सुविधाओं की कमी।

2. **शिक्षा**– शिक्षा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के साथ–साथ संसाधनों दोनों में कमी है । प्रमुख कमियों में शामिल हैंः
   - अपर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल।
   - स्कूलों में स्वच्छ पेयजल (नल का पानी) और बिजली की कमी।
   - माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में प्राथमिक स्तर की तुलना में कम नामांकन।
   - अपर्याप्त शिक्षकों की संख्या।

3. **रोजगार एवं आजीविका** – रोजगार की स्थिति और आजीविका के अवसरों को देखते हुए, निम्नलिखित मुद्दे उभरते हैं जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता हैः
   - आजीविका के विभिन्न अवसर की कमी के कारण खनन ही एकमात्र आजीविका का स्रोत।
   - सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और मनरेगा का ख़राब प्रदर्शन।
   - झरिया से विस्थापित लोगों या विस्थापित होने वाले के लिए कम न्यूनतम मजदूरी।
   - पुनर्वास क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों की अनुपस्थिति।

4. **पेयजल स्वच्छता**– पेयजल स्वच्छता सम्बंधित विश्लेषण में शामिल हैंः
   - नल के पानी (उपचारित) तक पहुंच नहीं।
   - उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण खुले में शौच उच्च स्तर पर।
   - ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी (सभी मौसम की सड़कों) की समस्या।

5. **प्रदूषण नियंत्रण और भूमि सुधार**

- सीपीसीबी के अनुसार धनबाद (कोयला खदान क्षेत्र भी शामिल) गंभीर रूप से प्रदूषित (क्रिटिकली पॉल्यूटेड) क्षेत्र है।
- कोल डस्ट के कारण पार्टिकुलेट मैटर प्रदुषण बहुत है. औसतन, साल भर में PM10 का स्तर निर्धारित स्तर (60 $\mu g/m^3$) से चार गुना ज़्यादा है।
- भूजल प्रदुषण भी अधिक है, कोयला खान क्षेत्रों में हैवी मेटल जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक आदि से भूजल भारी मात्रा में दूषित।
- दामोदर नदी, जो की एक महत्वपूर्ण सतही जल प्रदाय है, भी सीपीसीबी के अनुसार "प्रदूषित नदी" की श्रेणी में है जिस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

प्राथमिकतायें क्षेत्र एवं निवेश की आवश्यकता

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● जीर्ण रोगों का उच्च फैलाव जैसे अस्थमा/पुरानी श्वसन रोग। अन्य रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तीव्र श्वास संक्रमण । ● कोयला खनन के क्षेत्र में श्रमिक विशेष रूप से कोयला धूल से निमोनिकोनीसिस नामक फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त हैं। ● बच्चों के बीच पेयजल और स्वच्छता से संबंधित बीमारियांः उच्च संख्या में धनबाद और झरिया में, 0–5 आयु के बीच लगभग 100% बच्चे दस्त से पीड़ित होते हैं। ● हेल्थकेयर बुनियादी ढांचे एवं हेल्थकेयर स्टाफ में कमी–ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र। ● प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यावहारिक रूप से एएनएम पर निर्भर (जो पर्याप्त नहीं हैं)। ● उच्च 0–5 साल शिशु मृत्यु दर 52 और स्टंटेड हैं है, खासकर	● कम से कम 50 प्रतिशत तक पीएचसी और सीएचसी क्षमता बढ़ाने में। ● निजी क्लीनिकों के साथ अनुबंध (पीपीपी के माध्यम से) कर क्षमता विस्तार को बढ़ावा। ● जिले में 10 लाख की जनसंख्या के लिए जिला अस्पताल में 300 बेड होना चाहिए। ● अनुबंध पर आवश्यकतानुसार डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को भर्ती किया जा सकता है। ● डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से बीपीएल परिवारों की महिलाओं/माताओं जो विधवा या किसी भी सहारे के बगैर हों उनके और बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ● आईसीडीएस के सुधार के लिए वित्तीय अनुदान/अभिशरण, मूल्यांकन कर पोषण हेतु राशन

ग्रामीण क्षेत्रों में। ● तीव्र कुपोषण के लक्षण। ● हर खनन प्रभावित क्षेत्र में आंगनवाड़ी अपनी क्षमता से डेढ़ से दुगने बच्चों पर हैं। उदाहरण के लिए, निरसा में, लगभग 72 बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी है (मानक के हिसाब से 40 बच्चों पर 1 आंगनवाड़ी होनी चाहिए) ● 60% से ज्यादा आंगनवाड़ियों के अपने स्थायी भवन नहीं हैं। धनबाद और झरिया में 80% आंगनवाड़ियों की यह स्थिति है। ● 80% से ज्यादा आंगनवाड़ियों में टॉयलेट नहीं हैं, 70–80% में पेय जल सुविधा नहीं।	और पूरक पोषण की कमी को पूरा किया जा सकता। ● मौजूदा संख्याओं से 50 प्रतिशत तक आंगनवाड़ी की संख्या बढ़ाएं ● सभी आंगनवाड़ी में साफ / ट्रीटेड पेयजल सुनिश्चित करें। ● जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा के तहत उपलब्ध मौजूदा सेवा में सुधार, एवं सार्वजनिक और निजी सुविधाओं दोनों में उपचार और चेक–अप का लाभ उठाने के लिए महिलाओं / माताओं को 'हेल्थ वाउचर' प्रदान किया जा सकता। ● स्वच्छ भारत मिशन का प्रसार विशेष रूप से शौचालयों में पानी की सुविधा सुनिश्चित करते हुए।

शिक्षा की स्थिति एवं निवेश

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● उच्च शिक्षा का स्तर चिंतनीय ● धनबाद जिले की साक्षरता 74.5% है लेकिन 20–39 की उम्र में, सिर्फ 15% लोगों नें उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है, सिर्फ 17% लोग स्नातक (ग्रेजुएट)। ● प्राथमिक स्कूलों में एनरोलमेंट अच्छा, पर माध्यमिक एनरोलमेंट में गिरावट। ● माध्यमिक स्कूलों का एनरोलमेंट औसतन 72 है। खनन प्रभावित क्षेत्रों में यह गिरावट और भी ज़्यादा है – धनबाद में प्राथमिक में 101 जीईआर है, और	● माध्यमिक शिक्षा पूरा करने एवं ग्रॉस एनरोलमेंट में आरएमएसए लक्ष्यों के अनुसार सुधार के लिए निवेश। ● शिक्षकों की संख्या में बढोतरी– प्रत्येक उत्क्रमित स्कूल के लिए, अतिरिक्त 10 शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता। ● 30:1 की निर्धारित पीटीआर आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं में कर्मचारियों की क्षमता को सुदृढ़ करें। प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक विशेष

माध्यमिक में केवल 65। ● स्कूलों की कमी–अपर्यापत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल की संख्या। ● माध्यमिक स्कूल केवल 10–20% प्राथमिक स्कूलों के तुलना में। ● उच्च माध्यमिक स्कूल और भी कम हैं, केवल 5–10%। ● स्टूडेंट क्लासरूम रेश्यो (एससीआर)–धनबाद और झरिया में सिर्फ 50% और 39% स्कूलों में क्रमशः पर्याप्त क्लासरूम। ● ग्रामींण क्षेत्रों में करीबन 75% स्कूलों में ही पर्याप्त क्लासरूम हैं। ● मूलभूत सुविधायें जैसे पेयजल, बिजली इत्यादि की कमी। ● ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 1%, शहरी क्षेत्रों में 50% से भी कम स्कूलों में नल जल सुविधा है। ● ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 25% और शहरी क्षेत्रों में 50% स्कूलों में बिजली उपलब्ध। ● समुदाय के साथ चर्चा के अनुसार टॉयलेट ज़्यादातर स्कूलों में बने हुए हैं, परन्तु उनके इस्तेमाल के लिए पानी की उपलब्धता नहीं। ● टीचर की उपलब्धता में कमी – औसतन सिर्फ 40% प्राथमिक स्कूल और 15% माध्यमिक स्कूलों में पर्याप्त टीचर।	रूप से ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। ● उच्च शिक्षा में मौजूदा छात्रवृत्ति में बढ़ावा करते हुए सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं एवं अशक्षम के लिए शिक्षा सुलभ बनाना। ड्रॉपआउट को कम करने के लिए, एससी/एसटी बच्चों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियां, बालिकाओं की शिक्षा के लिए एवं आठवीं से बारहवीं कक्षा के बीच अक्षम/विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ● प्राथमिक स्तर के स्कूलों के लिए, निर्धारित पीटीआर आवश्यकता (प्राथमिक के लिए 30:1 और उच्च प्राथमिक के लिए 35:1), जैसा की आरटीई (2009) के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ● माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए, आरएमएसए के तहत निर्दिष्ट निर्धारित पीटीआर आवश्यकता (30:1) को पूरा किया जाना चाहिए। ● योग्य शिक्षकों को आकर्षित और बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर शिक्षकों के वेतन में सुधार किया जाना चाहिए। ● माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से महिलाएं को प्रशिक्षण और भर्ती।

रोजगार एवं आजीविका की स्थिति

स्थिति	0-5 वर्षों में निवेश की आवश्यकता
● कुल आबादी के 31.5% श्रमिक हैं। 68.5% गैर–श्रमिक वर्ग में, लगभग 50% गैर–कार्यरत आयु वर्ग में (15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक)। ● सीमांत श्रमिक आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है– लगभग 35%। ● कार्यरत आबादी में अधिकतर (धनबाद और झरिया में 90% से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 70%) 'अन्य श्रमिक' (किसान/कृषि मजदूर/घरेलू उद्योग श्रमिकों के अलावा अन्य) हैं। ● कृषि आधारित रोजगार बहुत कम। ● मनरेगा से पर्याप्त रोज़गार सृजन ना होना। ● खनन क्षेत्रों में नियमित रोजगार की कमी। ● झरिया से विस्थापित लोगों के लिए आजीविका का अभाव और कम मजदूरी दर। ● जेआरडीए के अनुसार कुल 6.46 करोड़ 1231 परिवारों को दिया गया था यह लगभग 13,000 रु. है प्रति व्यक्ति (4 सदस्य परिवार को ध्यान में रखते हुए)। यह राशि मोटे तौर पर अपर्याप्त है।	● शिक्षा में निवेश 1. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पूरा करने के लिए जिससे सुरक्षित रोजगार मिल सके । महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 2. उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एससी/एसटी को पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाने वाली सहायता को बढ़ाएं। ● कौशल विकास– 1. पीएमकेवीवाई के प्रावधानों के अनुसार 15–39 के कार्य आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों/ गैर–श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण बढ़ाएं। कौशल विकास/प्रशिक्षण का ध्यान महिलाओं, एससी और एसटी जैसे कमजोर वर्ग के लोगों पर, जिनमें से 50 प्रतिशत ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित होने चाहिए। 2. धनबाद जिले के स्थानीय संसाधनों और सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल को देखते हुए, प्रशिक्षण कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य (झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों) जैसे क्षेत्रों के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। ● कृषि आधारित आय को बढ़ाने के लिए वाटरशेड डेवलपमेंट ● एमएसपी को 10 प्रतिशत बढ़ाकर लघुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का उन्नयन। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में–टुंडी और पुर्वी टुंडी के लोगों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जहां वंचित और खनन प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

राजीव रंजन

फोन: 07759064516 • ईमेल: rajeev.ranjan@cseindia.org

वेबसाइट: https://www.cseindia.org/page/district-mineral-foundations

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरन्मेंट

41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली– 110 062, भारत

फोन: +91-11-40616000 फैक्स: +91-11-29955879

ई–मेल: cse@cseindia.org वेबसाइट: www.cseindia.org